



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

*** (पत्रांक-128/2021 दिनांक 08.05.2021)***

दिनांक- 08.05.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

कोविड -19 के नियमों व शर्तों का उलंघन करते हुये दुसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर व्यक्ति का 10000 रुपये का किया गया चालान-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सचिन्द्र पटेल के निर्देशन में थाना कसया पुलिस द्वारा कस्बा कसया में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति संदीप अग्रवाल पुत्र मुरलीधर अग्रवाल साकिन वार्ड न0 12 सुभाष नगर कस्बा थाना कसया जनपद कुशीनगर को कोविड - 19 के नियमों व शर्तों का उलंघन करते हुये कस्बा कसया मे स्थित अपने दुकान के सामने बिना मास्क का घुमते हुये पकड़ा गया, उक्त व्यक्ति का पूर्व में बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1000 रुपये का चालान किया गया था। आज दिनांक 08.05.2021 को दुबारा कोविड -19 के नियमों व शर्तों का उलंघन करते हुये बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का चालान किया गया।

चालान किये गये व्यक्ति का नाम-

1. संदीप अग्रवाल पुत्र मुरलीधर अग्रवाल साकिन वार्ड न0 12 सुभाष नगर कस्बा कसया थाना कसया जनपद कुशीनगर

चालान करने वाले अधिकारी का नाम

1. SHO श्री अखिलेश कुमार सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 11 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 492 वाहन।

2. 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-47,अभि0-156

3. जनपद में कुल गिरफ्तारी -(कुल-11)

मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर